राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा,
निर्वाचन सदन, प्लॉट नं0–2, सैक्टर–17, पंचकूला ।

अधिसूचना

दिनांक 13 मार्च, 2012

क्रमांकः रा0नि0आ0/3ई–।।/2012/680:–राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा द्वारा उपायुक्त एंव जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत, करनाल द्वारा दी गई सूचना के आधार पर पंचायत आम चुनाव वर्ष 2010 में निर्वाचित पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों के नामों की अधिसूचना दिनांक 16.07.2010 को जारी की गई थी।

2. आयोग द्वारा प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 06.07.2010 व 16.07.2010 में कुछ जिलों से अधिसूचना की कुछ प्रविष्टियो में संशोधन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुये थे, जिसमें दिनांक 20.07.2010 को उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत, करनाल के कार्यालय से केवल एक प्रविष्टि पर संशोधन पर प्रस्ताव प्राप्त हुआ। राज्य के कुछ जिलों से प्राप्त संशोधन प्रस्तावों पर आयोग द्वारा अपने पत्र क्रमांक रा0नि0आ0/3ई–।।/2010/6149–6169दिनांक 20.07.2010 अनुसार राज्य के सभी उपायुक्त एंव जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को लिखा गया था कि उनके जिलें के निर्वाचित पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों में कोई संशोधन किया जाना है तो उस बारे में आयोग को दिनांक 22.07.2010 सांय 04.00 बजे तक सूचित करने का कष्ट करें ताकि आवश्यक संशोधन किया जा सके, तत्पश्चात आयोग द्वारा उनके संशोधन पर विचार नही किया जायेगा। उपायुक्त एंव जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत, करनाल से दिनांक 22.07.2010 तक कोई सूचना प्राप्त नही हुई, अन्य जिलों से प्राप्त सूचना के आधार पर आयोग द्वारा दिनांक 23.07.2010 को अधिसूचना में शुद्धिपत्र जारी किया गया।

3. इससे पूर्व आयोग द्वारा अपने पत्र क्रमांक क्रमांक एस0ई0 सी0/2ई–।।/2010/5543–46 दिनांक 06.07.2010 अनुसार उपायुक्त एंव जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) करनाल को लिखा गया था कि पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव, 2010 में निर्वाचित सदस्यों की सूचना भेजने से पूर्व वह नाम/पिता का नाम और वार्ड का विशेष ध्यान रखेगें। उसी आधार पर नामों की पड़ताल करेगें जिस आधार पर उन्होंने नामांकन पत्र में अपना विवरण दिया है। सभी खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी स्वयं प्रत्येक विवरण की पड़ताल करके सूचना उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के कार्यालय में देंगे तथा जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा कम से कम 20% विवरणों की पड़ताल करके आयोग के कार्यालय में भेजेगें और किसी भी त्रुटि के लिए उनके कार्यालय का सम्बन्धित अधिकारी जिम्मेवार होगा।

4. उपायुक्त एंव जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत करनाल द्वारा अपने पत्र क्रमांक 2014/पंचायत दिनांक 28.07.2010 द्वारा आयोग को सूचित किया गया कि खण्ड विकास एंव पंचायत अधिकारी, असन्ध की रिपोर्ट अनुसार नो पंचों के नाम गलत लिखे गये है इन्हे दुरूस्त करके अधिसूचित किया जाये। आयोग द्वारा अपनी अधिसूचना दिनांक 08.09.2010 अनुसार तीन नामों में संशोधन कर दिया गया तथा बाकी छः नामों बारे अपने पत्र दिनांक 22.09.2010 अनुसार उपायुक्त एव जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत करनाल से पूछा गया था कि वह आयोग को स्पष्ट करें यह गलती किस स्तर पर हुई और पूर्व में गलत नाम अधिसूचित करने हेतू क्यों भेजे गये। इसकें अतिरिक्त इन पदों पर कौन उम्मीदवार विजयी हुआ था। उनके

समर्थन में रिकार्ड की सत्यापित प्रतियां आयोग को अपनी सिफारिश सहित भिजवाये ओर इन त्रुटियों के लिए जिम्मेवारी तय करते हुये सम्बन्धित के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने हेतू उनके विभागों से अनुरोध करें।

5. इसी मामले में आयोग द्वारा अपने पत्र कमांक एस0ई0सी0/ 3ई–।।/2011/350दिनांक 16.02.2011 अनुसार वित्तायुक्त एंव प्रधान सचिव हरियाणा सरकार को अन्य मामलों सहित उपायुक्त एंव जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत, करनाल द्वारा आयोग को भेजे गये संशोधन प्रस्तावों पर टिप्पणी देने हेतु लिखा गया जिस पर उन्होने अपने पत्र दिनांक 20.06.2011 अनुसार आयोग को सूचित किया उन्होने इस पर सम्बन्धित उपायुक्त एंव जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया जिस पर उपायुक्त एंव जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत, करनाल द्वारा बताया गया कि एक मात्र लिपीकीय त्रुटि थी, जिसके लिए किसी को जिम्मेवार ठहराया जाना उचित नही होगा। वित्तायुक्त एंव प्रधान सचिव हरियाणा सरकार विकास एंव पचांयत विभाग द्वारा आयोग को नियमानुसार संशोधन करने बारे कहा गया तथा उन्होने यह भी सूचित किया कि उनके द्वारा दोषियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही करने हेतू सम्बन्धित उपायुक्त एंव जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत को निर्देशित कर दिया जायेगा।

6. मामले मे उपायुक्त एंव जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत करनाल द्वारा अपने पत्र कमांक 2833/पंचायत दिनांक 05.04.2011 अनुसार आयोग को सूचित किया गया कि पंचायत आम चुनाव के समय लगातार लम्बे समय तक दिन रात कार्य की अधिकता व व्यवस्तता के कारण तथा computer operator जो कि अन्य विभाग से लगाया गया था, के तकनीकी कारणों से यह गलती हुई है यह सारा कार्य ज्यादा लम्बा तथा समयबद्ध किया जाना था इसलिये फीड करने में चूक हुई थी। इन मामलो में आयोग द्वारा अपने स्तर पर भी जांच की गई तथा आवश्यक कानूनी राय भी प्राप्त की गई जिस पर उपायुक्त एंव जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत करनाल से पुनः मामले पर विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें उन्होने वर्णित किया है किः–

"आयोग के निर्देशानुसार उनके कार्यालय द्वारा समस्त व्यक्तियों को दिनाक 16.11.2011 को निजी सुनवाई के लिये बुलाया गया । सुनवाई की निश्चित तिथि पर जिन लोगों के नाम गलत अधिसूचित हुये है, उनमें से कोई भी व्यक्ति खण्ड विकास एंव पंचायत अधिकारी, असन्ध के विशेष वाहक द्वारा दस्ती पत्र देने के वाबजूद भी हाजिर नही हुआ। उपस्थित व्यक्तिगण जोकि वास्तव में पंच निर्वाचित हुये है, उन्हें विस्तारपूर्वक सुना गया है। अपनी सुनवाई में उनके द्वारा निम्न प्रकार ब्यान दिये गये हैः–

1. श्रीमति सन्तोष पत्नी सुरेन्द्र गांव बल्ला ने बताया कि उसने ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ा था और उसके पक्ष में 61 वोट पड़े थे और उसे ही निर्वाचन अधिकारी द्वारा घोषित किया गया था तथा श्रीमति प्रेमलता पत्नी श्री दरिया चुनाव हार गई थी।
2. श्री सुरेन्द्र पुत्र धर्म सिंह गांव गंगाटेहड़ी ने अपने ब्यानों में बताया है कि उसने ग्राम पंचायत गंगाटेहड़ी वार्ड नं0 10 से पंच का चुनाव लड़ा था और उसके विरूद्ध श्री संजय कुमार पुत्र श्री किशना ने चुनाव लड़ा था जो कि हार गया था और उसे (सुरेन्द्र) पंच पद पर निर्वाचित घोषित किया गया था।
3. श्रीमति सुनीता पत्नी राममेहर गांव कुडलन ने अपने ब्यानों में कहा है कि उसने ग्राम पंचायत कुडलन में वार्ड नं06 से पंच का चुनाव लड़ा था और उसके पक्ष में 122 वोट पड़े थे तथा उसके विरूद्ध श्रीमति सन्तोष पत्नी श्री सेवा राम चुनाव हार गई थी तथा उसे (सुनीता) निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचित घोषित किया था।

4. श्रीमति निर्मला देवी पत्नी सतपाल गांव ललैन ने अपने ब्यानों में बताया है कि उसने ग्राम पंचायत ललैन के वार्ड नं0 7 से पंच पद के लिये चुनाव लड़ा था और चुनाव में श्रीमति जीलों पत्नी श्री श्यामा चुनाव हार गई थी उसे (निर्मला) ही पंच निर्वाचित घोषित किया गया था।
5. श्री रणबीर पुत्र रिसाला गांव मूण्ड ने अपने ब्यानों में कहा था है कि पंचायत आम चुनाव, 2010 में पंच पद के लिये वार्ड नं. 9 से चुनाव लड़ा था और मेरे पक्ष में 77 वोट पड़े थे तथा उसके विरूद्ध श्री राजबीर पुत्र श्री नरसिंह चुनाव हार गया था और उसे (रणबीर) को ही निर्वाचित घोषित किया गया था।
6. श्रीमती वाश्नों देवी पत्नी श्री रणधीर गांव उपलाना ने अपने ब्यानों में बताया है कि उसने ग्राम पंचायत उपलाना के वार्ड नं0 13 से पंच पद के लिये चुनाव लड़ था तथा 155 वोट उसके पक्ष में पड़े थे और उसके विरूद्ध श्री बलविन्द्र सिंह पुत्र श्री सतबीर चुनाव हार गया था। निर्वाचन अधिकारी द्वारा उसे (वाश्नों) देवी ही निर्वाचित घोषित किया गया था।

उपायुक्त एंव जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत, करनाल द्वारा आगे व्यक्त किया गया है कि श्री कर्ण सिंह समाज शिक्षा एंव पंचायत अधिकारी, असन्ध जो कि आम चुनाव के समय से कार्यरत है, ने अपने ब्यानों में कहा है कि आम चुनाव के समय दिन रात कार्य की अधिकता व व्यस्तता के कारण कम्पयूटर आपरेटर जो दूसरे विभाग से बुलाया गया था, से फीड करने में चूक हो गई थी तथा विजयी उम्मीदवार का कार्यालय में रिकार्ड उपलब्ध है जो विजयी हुये है, उन्हें ही शपथ दिलाई गई है। इसी प्रकार खण्ड विकास एंव पंचायत अधिकारी असन्ध ने भी कहा है कि समयबद्ध अत्याधिक कार्य होने के कारण ही यह चूक हुई है। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत करनाल द्वारा पुनः व्यक्त किया गया उपरोक्त वर्णित व्यक्तिगण का नाम आम चुनाव के समय कार्य की अधिकता होने के कारण clerical mistake हुई है, जानबूझकर नही की गई है। चुनाव परिणाम रिटर्निंग अधिकारी पंचायत द्वारा सही घोषित किये गये है और निर्वाचित को ही प्रमाण पत्र दिये गये है, उन्होने उपरोक्त विजयी उम्मीदवारों/पचों के नाम अधिसूचित करने बारे अनुरोध किया है।

7. उपायुक्त एंव जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) करनाल द्वारा अपने पत्र कमांक 11421/पंचायत दिनांक 01.12.2011 अनुसार आयोग को यह स्पष्ट किया गया है कि निर्वाचित व्यक्तियों को ही शपथ दिलवाई गई है और उन्हीं को निर्वाचन प्रमाण पत्र जारी किया गया था। जिला प्रशासन द्वारा जिन व्यक्तियों के नाम आयोग द्वारा अधिसूचना में अधिसूचित ही नही किये गये थे, उनको शपथ दिलवाई गई जो कि एक गम्भीर चूक है इससे आयोग द्वारा निर्वाचित व्यक्तियों के नामों की अधिसूचना जारी करने का कोई औचित्य ही नही रह जाता क्योंकि जब बिना अधिसूचित हुये ही शपथ ग्रहण करवाई जा रही है। उपायुक्त एंव जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत करनाल द्वारा शपथ ग्रहण होने उपरांत नामों में दुरूस्ती करने हेतू आयोग को अनुरोध किया गया था। जिसको किसी भी सूरत में लिपीकीय त्रुटि नही माना जा सकता, जबकि रिटरनिंग अधिकारी द्वारा चुनाव परिणाम सही घोषित किया गया और निर्वाचित व्यक्तियों को निर्वाचन का प्रमाण पत्र दिया गया था उसके बावजूद भी यह गम्भीर लापरवाही की गई।

8. परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुये आयोग द्वारा भविष्य में इस प्रकार की प्रवृति को रोकने हेतु आदेश कमांक रा0नि0आ0/3ई-II/ 2011/748 दिनांक 16.05.2011 जारी किया गया है जिसमें निर्वाचित पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों के नाम आयोग को अधिसूचना हेतू भेजने से पूर्व उनकी जांच करने व

सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी की जिम्मेवारी तय की गई है। इस आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि नाम आयोग को अधिसूचना में अधिसूचित करने हेतू भेजे जाने उपरांत यदि कोई गलती पाई जाती है तो उसके लिए सम्बन्धित अधिकारी जिम्मेवार होगें और लापरवाही के लिए उक्त अधिकारी अनुशासनिक कार्यवाही के पात्र होगें।

9. उपरोक्त वर्णित तथ्यों एंव उपायुक्त एंव जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत, करनाल द्वारा खण्ड असन्ध में पहले अधिसूचित पंचों के स्थान पर संशोधन हेतू दिये गये प्रस्तावित नामों और कानूनी राय को मध्यनजर रखते हुये राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा अपनी अधिसूचना कमांक एस0ई0सी0/ई–।।/2010/5989 दिनांक 16.07.2010 में निम्न प्रकार संशोधन से करता हैः–

क0सं0	*ग्राम पंचायत का नाम*	*पंच वार्ड नम्बर*	*पहले अधिसूचित नाम*	*संशोधन हेतू प्रस्तावित नाम*	*अब संशोधित नाम*
1	*बल्ला*	03	*प्रेमलता पत्नी दरिया*	*सन्तोष पत्नी महेन्द्र*	*सन्तोष पत्नी महेन्द्र*
2	*गंगाटेहडी*	10	*संजय कुमार पुत्र किश्ना*	*सुरेन्द्र पुत्र धर्म सिंह*	*सुरेन्द्र पुत्र धर्म सिंह*
3	*कुडलन*	06	*सन्तोष पत्नी सेवा राम*	*सुनीता पत्नी राममेहर*	*सुनीता पत्नी राममेहर*
4	*ललैन*	07	*जीलो पत्नी श्यामा*	*निर्मला देवी पत्नी सतपाल*	*निर्मला देवी पत्नी सतपाल*
5	*मुण्ड*	09	*राजबीर पुत्र नरसी दास*	*रणबीर पुत्र रिसाला*	*रणबीर पुत्र रिसाला*
6	*उपलाना*	13	*बलविन्द्र सिंह पुत्र सतबीर सिंह*	*वाश्नों देवी पत्नी रणधीर*	*वाश्नों देवी पत्नी रणधीर*

10. इसके अतिरिक्त मामले में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने बारे आदेश अलग से जारी किये जायेंगें।

आदेश द्वारा,

दिनांक, पंचकूला
13 मार्च, 2012

सचिव
राज्य निर्वाचन आयुक्त हरियाणा

पृ0 कमांक रा0नि0आ0/3ई–।।/2012/681–84 दिनांकः– 13.03.2012

एक प्रति निम्नलिखित को प्रेषित की जाती हैः–

1. वित्तायुक्त एंव प्रधान सचिव हरियाणा सरकार, विकास एंव पंचायत विभाग, चण्डीगढ़ ।
2. निदेशक, विकास एंव पंचायत विभाग हरियाणा, चण्डीगढ़।
3. उपायुक्त एंव जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) करनाल को उनके पत्र कमांक 11421/पंचायत दिनांक 01/12/2011 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एंव आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित की जाती है।
4. नियंत्रक, मुद्रण लेखन सामग्री विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ को हरियाणा सरकार के राजपत्र में प्रकाशन हेतू भेजी जाती है।

अधीक्षक/पंचायत
राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा,
पंचकूला।